निविदा सूचना

जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत ई श्रेणी के स्टेशनों पर टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) की नियुक्ति के लिए आवेदनों का आमंत्रण

पश्चिम मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
वाणिज्य विभाग, जबलपुर

क्र. जबल/वा/477/को./एसटीबीए/18 दिनांकः– 26.10.2018

भारत के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पश्मिच मध्य रेल, जबलपुर द्वारा स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट के चयन करने हेतु अधिसूचना क्र. 96/2018 के द्वारा 03 वर्ष की अवधि के लिये पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे दिन (24 घण्टे) अनारक्षित टिकिट जारी करने के लिए संविदा आधार पर स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट (STBA) आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों से जिनका स्थायी निवास संबंधित स्टेशन क्षेत्र में आता है आवेदन आमंत्रित किए जाते है। स्टेशन का विवरण जिनके लिए स्टेशन टिकिट बुकिंग ऐजन्ट (STBA) का आवंटन होना है, वे निम्नलिखित ''ई'' श्रेणी के स्टेशन हैं :–

Sr. No.	*Station*	*UTS*	*Sr. No.*	*Station*	*UTS*
1	गुर्रा (GRO)	UTS	13	रीठी(REI)	UTS
2	सोनतलाई (SQL)	UTS	14	बखलेटा(BQQ)	UTS
3	करकबेल (KKB)	UTS	15	झुकेही (JKE)	UTS
4	तुर्कीरोड (TZR)	UTS	16	पकरिया रोड (PKRD)	UTS
5	जोबा(JOBA)	UTS	17	भदनपुर (BUU)	UTS
6	घाटपिंडरई (GPC)	UTS	18	पटौहा (PTHD)	UTS
7	बेलखेड़ा (BELD)	UTS	19	लगरगवां (LGCE)	UTS
8	विक्रमपुर (BMR)	UTS	20	सगमा (SAGM)	UTS
9	बोहानी(BNU)	UTS	21	निवार(NWR)	UTS
10	अधारताल(ADTL)	UTS	22	चितहरा (CTHR)	UTS
11	अमदरा(UMD)	UTS	23	विजयसोता(VST)	UTS
12	ईशरवारा(ISH)	UTS	24	छतैनी (CTJ)	UTS

25	बघोरा (BJQ)	UTS	41	दुबरीकलां (BARD)	UTS
26	गिरवर (GW)	UTS	42	मेहरोई (MFQ)	UTS
27	लिधौरा खुर्द(LDA)	UTS	43	बरगवां (BRGW)	UTS
28	असलाना (ANA)	UTS	44	स्लीमनाबादरोड(SBD)	UTS
29	करैयाभदौली(KYX)	UTS	45	जरुआखेड़ा(JRK)	UTS
30	सगौनी (SAO)	UTS	46	देवराग्राम (DRGM)	UTS
31	गोलापट्टी (GTY)	UTS	47	मझौली (MZHL)	UTS
32	गणेशगंज (GAJ)	UTS	48	कैमा (KMA)	UTS
33	नारियावली(NOI)	UTS	49	सकरिया (SKAR)	UTS
34	मझगवां फाटक(MJGP)	UTS	50	हिनौता रामबन(HNM)	UTS
35	कटंगीखुर्द (KTKD)	UTS	51	बघई रोड (BGHI)	UTS
36	सल्हना (SLHA)	UTS	52	उचेहरा (UHR)	UTS
37	पिपरियाकलां(PWK)	UTS	53	हरदुआ (HDU)	UTS
38	सरईग्राम(SGAM)	UTS	54	भेड़ाघाट (BRGT)	UTS
39	मारकुंडी(MKD)	UTS	55	सालिचौकारोड(SCKR)	UTS
40	गोसलपुर(GSPR)	UTS			

उक्त स्टेशनों पर बुकिंग लिपिक पदस्थ नहीं है। चुने गए स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) स्टेशन पर यात्रियों को गाड़ी में यात्रा करने के लिए प्लेटफार्म टिकिट, मासिक सीजन टिकिट सहित सभी प्रकार के गैर रियायती अनारक्षित टिकिट जारी कर सकेंगे तथा स्टेशन मास्टर के अनुमोदन के पश्चात रियायती टिकिट जारी कर सकेंगे। स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) को टिकिट बिक्री के आधार पर नियमानुसार कमीशन का भुगतान किया जायेगा।

प्रति माह टिकिट बिक्री रू.	**कमीशन प्रतिशत (%)में**
1 से 15,000	15 % (न्यूनतम रू. 500/–)
15,001 से 50,000 तक	12 %
50,001 से 1,00,000 तक	9 %
1,00,000 से अधिक	4 % अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित कमीशन जो भी कम हो।

चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित कमीशन की दर (4% कमीशन के स्लेब में) या उपरोक्त कमीशन की दर, दोनों में जो भी कम होगा वह प्रदान किया जायेगा।

योग्यता एवं शर्ते :–

1. एक स्टेशन पर केवल एक (01) ही स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) जिसका प्रस्ताव (Offer) न्यूनतम होगा उसे आवंटन किया जायेगा।
2. आवेदक को आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप) के साथ रू. 1000/– मात्र आवेदन शुल्क (स्टेशन द्वारा जारी एम.आर. अथवा डी.डी. के रूप में) तथा रू. 2000/– मात्र बयाना राशि (केवल डी.डी. के रूप में) आवेदन पत्र के साथ जमा करनी है। आवेदन शुल्क व बयाना राशि हेतु जारी डी.डी. **वरि. मंडल वित्त प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर** के पक्ष में देय होंगे। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का फोटो लगाना होगा।

3. एक आवेदक केवल एक स्टेशन के लिए STBA हेतु आवेदन कर सकता है यदि कोई व्यक्ति पूर्व में किसी अन्य स्टेशन पर STBA के रूप में नियुक्त है, वे इस अधिसूचना में उल्लेखित किसी भी स्टेशन पर STBA की नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

4. आवेदक ने जिस स्टेशन के STBA चयन हेतु आवेदन किया है। आवेदक उस ब्लॉक/तहसील का स्थाई निवासी होना चाहिए, जिसमें यह स्टेशन स्थित है। इसके लिए मतदाता परिचय पत्र अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

5. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम ना हो एवं वह कम से कम 10वीं पास हो।

6. आवेदक को अच्छे नैतिक चरित्र का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग सेवक (STBA) को उसके निवास से संबंधित पुलिस स्टेशन से इस विषय का कि उसके विरूद्ध कोई आपराधित मामला लंबित नहीं होने का चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

7. चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) को सुरक्षा राशि के रूप में रू. 5000/– की ब्याज रहित वापसी योग्य एफडीआर एवं रूपए 20,000/– की बैंक गारंटी **वरि. मंडल वित्त प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर** के पक्ष में देय होगी। एसटीबीए का कार्य पूर्ण होने/कार्य संचालन निरस्त की स्थिति में बकाया राशि सुरक्षित जमा से समायोजित की जायेगी, शेष राशि एसटीबीए को वापस कर दी जायेग।
8. चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBAs) स्टेशन के निर्धारित मशीन से तथा स्टेशन पर लगे यूटीएस उपकरणों से अनारक्षित टिकिट जारी करेगा इसके लिए एसटीबीए (STBA) से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
9. सालीचौका रोड, , उचैहरा, , में यू.टी.एस. कम पी.आर.एस. में से केवल यू.टी.एस. (अनारक्षित टिकिट) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे, पी.आर.एस. (आरक्षित टिकिट) का कार्य स्टेशन प्रबंधक द्वारा किया जायेगा।
10. चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) लाईसेंस को किसी अन्य को सबलेट/हस्तान्तरित नहीं करेगा। मूल लाईसेन्सी की मृत्यु होने पर नियमानुसार उसके लाईसेंस का उसकी वैध उत्तराधिकारी को लाईसेंस की शेष अवधि के लिए सक्षम

अधिकारी द्वारा हस्तान्तरित किया जा सकेगा। यद्यपि स्टेशन टिकिट बुकिंग ऐजेंट (STBA) को अपनी सहायता हेतु अन्य व्यक्ति को रेलवे प्रशासन की पूर्व अनुमति से नामित कर सकता है जिसका एग्रीमेंट में भी प्रावधान किया जाना होगा।

11. STBA एवं उसके द्वारा नामित अन्य व्यक्ति को रेल प्रशासन द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र कार्य स्थल पर अपने साथ रखने होंगे एवं उनके नामों का उल्लेख स्टेशन परिसर स्थित सूचना पट्ट पर भी होना चाहिए।

12. चुने गए स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) स्टेशन पर यात्रियों को गाड़ी में यात्रा करने के लिए प्लेटफार्म टिकिट, मासिक सीजन टिकिट सहित सभी प्रकार के गैर रियायती अनारक्षित टिकिट जारी कर सकेंगे तथा स्टेशन मास्टर के अनुमोदन से जारी टिकिटों का रद्दीकरण एवं रियायती टिकिट जारी कर सकेंगे।

13. स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) को प्रत्येक 08 घण्टे के उपरान्त जारी किये गये टिकिटों का विवरण (डीटीसी) जारी करेंगे एवं टिकिट बिक्री से प्राप्त आय का कार्यरत् स्टेशन मास्टर के पास जमा कराना होगा।

14. यदि एसटीबीए (STBA) की अनुपस्थिति या एसटीबीए (STBA) द्वारा यूटीएस उपकरण गलत आपरेट करने के कारण यूटीएस सिस्टम में आई खराबी की वजह से यात्रियों को टिकिट जारी करने में व्यवधान उत्पन्न होता है तो स्टेशन की प्रतिदिन औसत आय या 500/– रूपए दोनों में जो भी अधिक हो, का जुर्माना स्टेशन, स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट (STBA) पर लगाया जायेगा।

15. कार्य के दौरान टिकिट रोल तथा रोकड़ की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेदारी स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट (STBAs) की होगी।

16. स्टेशन टिकिट बुकिंग सेवक (STBA) के कार्य की जाँच स्टेशन मास्टर, वाणिज्य तथा लेखा विभाग के निरीक्षकों/अधिकारियों द्वारा जावेगी।

17. **चयन प्रक्रिया :–** आवेदक अपने आवेदन में कमीशन स्लेब के तहत 4% (चार प्रतिशत) कमीशन वाले कॉलम में 4% (चार प्रतिशत) से कम कमीशन लेने का प्रस्ताव दे सकता है, 4% (चार प्रतिशत) कमीशन वाले कॉलम में जिस आवेदक के द्वारा न्यूनतम् कमीशन का प्रस्ताव दिया जायेगा, उसका चयन स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट (STBA) के लिए किया जायेगा।

18. **कार्य की अवधि :–** इस कार्य की अवधि तीन वर्ष होगी तथा चयनित स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट को रेल्वे के साथ एग्रीमेंट करना होगा।

19. **कार्य की समाप्ति :–** दोनों पक्षों द्वारा बिना कोई कारण बताये 10 दिनों की पूर्व सूचना देते हुए कार्य का समाप्त किया जा सकता है।

20. **एसटीबीए की नियुक्ति** (STBAs) :– चयनित स्टेशन बुकिंग ऐजेंट का रेल सेवा में नियुक्ति संबंधी कोई अधिकार नहीं होगा, इनका चयन पूर्ण रूप से संविदा पर कार्य करने हेतु समझा जावेगा, और ना ही इन्हे किसी प्रकार की रेल सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

21. **आरबीटेशन (Arbitration) :–** कार्य की अवधि के दौरान उत्पन्न हुए किसी भी वाद–विवाद के निपटारे हेतु करार पत्र में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार वाद–विवाद का निपटारा किया जायेगा।

नोट :–

1. फोटोग्राफ, आवेदन शुल्क, बयाना राशि और आवेदन में वर्णित प्रमाण–पत्रों के बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन सभी संलग्नकों के साथ लिफाफे में रखे तथा लिफाफे को सही तरीके से चिपकाये। लिफाफे के ऊपर आवेदित स्टेशन पर स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट की नियुक्ति के लिए आवेदन स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, सही ढंग से नहीं चिपकाया हुआ आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

2. डाक के द्वारा कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन दिनांक 19.12.2018 को 15:00 बजें वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाना चाहिए, दिनांक 19.12.2018 को 15:00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

3. सभी मामलों जैसे पात्रता, आवेदन की स्वीकृति के बारे में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ अथवा पत्राचार पर विचार नहीं किया जावेगा। जिन आवेदनकर्ताओं का चयन नहीं होगा, तो उनको इस संबंध में कोई भी जवाब भेजने के लिए रेलवे प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।

4. नियम और शर्तें के स्पष्टीकरण के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के कार्यालय के कार्यालय में कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेन्ट (STBA) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1.	आवेदक का नाम			यहाँ फ़ोटो चिपकाना है
2.	पिता/पति का नाम	:		
3.	जन्म तिथि (अंको में)	:		
	शब्दों में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	:		
4.	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	:		
5.	स्टेशन का नाम जिसके लिये आवेदन किया है (**कृपया** नोट करें कि आवेदक को संबंधित ब्लॉक/तहसील का **स्थानीय** निवासी होना चाहिए, इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)	:		
6.	आवेदक का पूर्ण स्थायी पता (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्य)	:		
7.	टेलीफोन/मोबाईल नं.	:		
8.	आवेदन शुल्क रू. 1000/— का विवरण	:		
9.	बयाना राशि रू. 2000/— का विवरण	:		
10.	चरित्र प्रमाण पत्र का विवरण	:		
11.	आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण ना होने का प्रमाण पत्र (स्थानीय पुलिस थाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	:		

12. **आवेदक द्वारा घोषित कमीशन की दर :-**

<table>
<tr><th>प्रति माह टिकिट बिक्री रू.</th><th>कमीशन प्रतिशत</th><th rowspan="4">आवेदक अपने कमीशन की दर नीचे के कॉलम में अंकित करे। (अंको में एवं शब्दों में)</th></tr>
<tr><td>1 से 15,000</td><td>15% (पंद्रह प्रतिशत)</td></tr>
<tr><td>15,001 से 50,000 तक</td><td>12% (बारह प्रतिशत)</td></tr>
<tr><td>50,001 से 1,00,000 तक</td><td>9 % (नौ प्रतिशत)</td></tr>
<tr><td>1,00,000 से अधिक</td><td>4 % (चार प्रतिशत)</td><td>अंको में प्रतिशत :-
शब्दों में प्रतिशत :-</td></tr>
<tr><td colspan="3">आवेदक अपने आवेदन में कमीशन स्लैब के तहत 4 %(चार प्रतिशत) कमीशन वाले कॉलम में 4 % (चार प्रतिशत) से कम कमीशन लेने का प्रस्ताव दे सकता है, 4 % (चार प्रतिशत) कमीशन वाले कॉलम में जिस आवेदक का न्यूनतम कमीशन का प्रस्ताव होगा उसका चयन STBA के लिये किया जायेगा। रू. 1,00,000/- से अधिक प्रति माह टिकिट बिक्री पर आवेदक द्वारा दिया गया कमीशन का प्रस्ताव या 4 % (चार प्रतिशत) कमीशन जो भी कम होगा उक्त कमीशन चयनित STBA को प्रदान किया जायेगा।</td></tr>
</table>

<u>घोषणा</u>

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कॉलमों में दी गयी सभी जानकारी मेरे निजी ज्ञान में सत्य एवं सही है, मै यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन में स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट STBA के रूप में नियुक्त/कार्यरत् नहीं हूँ। यदि उपरोक्त कॉलमों में कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो रेल प्रशासन मुझे चयन प्रक्रिया से अलग कर सकता है तथा असत्य जानकारी के लिये मै स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर आवेदक :

नाम आवेदक :

पता आवेदक :

मोबाईल नं. आवेदक :

संलग्न प्रपत्र :-

1. आवेदन शुल्क रू. 1000/- (संलग्न करें)।
2. बयाना राशि रू. 2000/- (संलग्न करें)।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (संलग्न करें)।
4. आवेदक का पूर्ण स्थायी पता (संलग्न करें)।
5. चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न करें)।
6. आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण न होने का प्रमाण पत्र (संलग्न करें)।
7. जन्म तिथि प्रमाण पत्र (संलग्न करें)।